निविदा/नीलामी सूचना

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ के प्रक्षेत्र अटारी, माल, लखनऊ की आम की बाग दशहरी 960, चौसा 133, लखनऊ सफेदा 128 व देसी 30 पेड़ के फलों की वर्ष 2012 व 2013 (दो वर्षो) की बिक्री हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र व शर्ते रू0 250/– नगद जमा करके दिनॉक 12.9.2011 पूर्वान्ह 11.00 बजे तक निम्न कार्यालय अथवा अटारी प्रक्षेत्र से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती हैं और उसी दिन 12.30 बजे तक रू0 30000/– जमानत धनराशि के साथ निधि कार्यालय में जमा की जायेगी व अपरान्ह 01.00 बजे खोली जायगी।

उक्त प्रक्षेत्र के ऑवला 89 एवं बेर 65 पेड़ की बाग (अन्तः शस्यन सहित) वर्ष 2012 व 2013 (दो वर्षो) की खुली नीलामी भी इसी दिन 1.30 बजे अपरान्ह निम्न कार्यालय में होगी। बोली दाता को रू0 1000/– जमानत जमा करनी होगी। उपरोक्त का विवरण website- www.upgovernor.gov.in पर भी उपलब्ध है। बागों का निरीक्षण प्रक्षेत्र पर किया जा सकता है।

सचिव
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
गेट सं0 9, राजभवन,लखनऊ
दूरभाष– 0522–2239523

निविदा/नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि फार्म अटारी, पोस्ट– माल जनपद– लखनऊ की आम की फसल वर्ष 2012 व 2013 (दो वर्षो की फसल) की ब्रिकी हेतु दिनॉक 12.9.2011 को अपरान्ह 12.30 बजे तक मोहर बन्द निविदा उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि राजभवन, लखनऊ के गेट नं0 9 पर स्थित कार्यालय में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रपत्र व शर्ते रू0 250/– नगद जमा करके दिनॉक 12.9.2011 पूर्वान्ह 11 बजे तक निधि कार्यायल अथवा अटारी प्रक्षेत्र से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। निविदा के साथ रू0 30,000/– (रूपया तीस हजार मात्र) नगद अथवा बैंक ड्राफ्ट जो उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि के पक्ष मे देय हो, जमा करना अनिवार्य है। यह धनराशि जमानत के रूप में अन्तिम फसल तोड़ने तक निधि कार्यालय में जमा रहेगी। दिनॉक 12.9.2011 को 01 बजे अपरान्ह समिति के समक्ष खोली जायेगी।

मुख्य शर्ते

1. निविदा खोलने के बाद सर्वोच्च निविदा में दी गई धनराशि जो दो वर्षो की होगी, के आधे का 1/10 भाग तुरन्त जमा करना होगा, शेष में से 20 प्रतिशत धनराशि 15 मार्च 2012 तक तथा 20 प्रतिशत धनराशि 15 अप्रैल 2012 तक एवं शेष सम्पूर्ण धनराशि फल तोड़ने से पूर्व अथवा 15 जून 2012 जो भी पहले हो, जमा करनी होगी तथा किसी दशा में आम के फलों को तोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जायेगी जबतक क्रेता द्वारा निविदा/नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि जमा न करा दी गई हो। यही प्रकिया वर्ष 2013 में भी प्रभावी होगी। यदि उपरोक्त समय में क्रेता द्वारा धनराशि नहीं जमा की जाती तो क्रेता से 12 प्रतिशत ब्याज लिया जायेगा।

2. निविदा सचिव उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में खोली जायेगी तथा उन्हें निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का बिना कारण बताएं पूर्ण अधिकार होगा।

3. धरोहर धनराशि के बिना निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

4. निविदा स्वीकृति के पश्चात रू0 160.00 के नानज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के पालन का अनुबन्ध करना होगा इसके बाद ही केता को आम की फसल प्रक्षेत्र से आवंटित की जायेगी।

5. प्रत्येक वर्ष आम के पेड़ों एवं फलों की देखभाल, रखवाली, कीटनाशी दवाओं के छिड़काव आदि का पूर्ण दायित्व केता का होगा।

6. निविदा स्वीकृति की तिथि के पश्चात किसी प्रकार की क्षति का दायित्व विभाग का न होकर केता का होगा तथा किसी भी दशा में निविदा/ नीलामी की धनराशि में किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

7. केता द्वारा बाग में अन्य किसी फसल या पेड़ पौधों को क्षति नहीं पहुॅचाई जायेगी तथा यदि ऐसा होता है तो इसका दायित्व केता का होगा एवं क्षति होने की दशा में इसकी प्रतिपूर्ति केता को करनी होगी। यदि विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने में निविदा दाता (केता) असमर्थ रहे तो विभाग को पूर्ण अधिकारी होगा कि वह निविदा/नीलामी अस्वीकृत कर पुनः निविदा आमंत्रित करें अथवा अन्य किसी प्रकार से फसल की ब्रिकी करें एवं केता/निविदा दाता द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि जब्त करले।

8. निविदा में आम की फसल का यथोचित मूल्य न प्राप्त होने की दशा में निविदा निरस्त कर आम की फसल की बिकी/नीलामी खुली बोली द्वारा की जा सकती है।

9. निविदा फार्म पर कटिगं अथवा ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी।

10. प्रत्येक निविदादाता को अपना स्थाई निवास प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र,बिजली का बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल आदि में से कोई एक) टेण्डर के साथ संलग्न करना होगा।

11. कोई अन्य शर्त हुई तो निविदा खुलने से पूर्व सूचित कर दी जायेगी।

सचिव
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।

नीलामी सूचना

उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि, राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ द्वारा कृषि प्रक्षेत्र,अटारी,माल, लखनऊ की ऑवला 89 पेड़ एवं बेर 65 पेड़ के बाग की बिक्री (अन्तः शस्यन कृषि सहित) दो वर्षो 2011–12 एवं 2012–13 के लिए दिनॉक 12.9.2011 दिन सोमवार अपरान्ह 1.30 बजे निधि मुख्यालय, में खुली नीलामी के द्वारा की जाएगी।

मुख्य शर्ते

1. बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने के पूर्व रू0 1000/– जमानत राशि जमा करनी होगी। नीलामी के उपरान्त सर्वोच्च बोलीदाता को छोड़कर अन्य की जमानत राशि वापस कर दी जायेगी।

2. नीलामी स्वीकृति के पश्चात बोली की कुल धनराशि जो दो वर्षो की होगी, की आधे का 1/10 भाग तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि निम्नानुसार जमा करनी होगीः–

   (1) 30 नवम्बर 2011 तक प्रथम वर्ष की धनराशि का 30 प्रतिशत ।
   (2) 31 जनवरी 2012 तक प्रथम वर्ष की धनराशि का 30 प्रतिशत ।
   (3) 20 मार्च 2012 तक प्रथम वर्ष की धनराशि का 30 प्रतिशत।

3. नीलामी गठित समिति द्वारा की जायेगी तथा उसे बोली स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का बिना कारण बताएं पूर्ण अधिकार होगा।

4. नीलामी स्वीकृति के पश्चात रू0 160/– के नानज्यूडीशियल स्टैम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के पालन का अनुबन्ध करना होगा।

5. पेड़ों, फलों, फसल की देखभाल,, कीटनाशी दवाओं का छिड़काव व अन्य सभी प्रकार के व्यय का पूर्ण दायित्व केता का होगा।

6. निविदा स्वीकृति की तिथि के पश्चात किसी प्रकार की क्षति का दायित्व विभाग का न होकर केता का होगा तथा किसी भी दशा में निविदा/ नीलामी की धनराशि में किसी प्रकार की छूट प्रदान नही की जायेगी।

7. यदि विभाग द्वारा निर्धारित नियमों का पालन केता द्वारा नहीं किया जाता तो विभाग को पूर्ण अधिकार होगा कि वह नीलामी अस्वीकृत कर केता द्वारा जमा धनराशि को जब्त कर पुनः बिक्री कर लें।

8. यदि कोई अन्य शर्त हुई तो नीलामी से पूर्व सूचित कर दी जायेगी।

सचिव
उ0प्र0 सैनिक पुनर्वास निधि
गेट नं0 9 राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
दूरभाष– 0522–2239523